



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042024-253869  
CG-DL-E-26042024-253869

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946

No. 1709]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

**का.आ. 1801(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**-(1) इस आदेश को तांबा उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अन्य प्रावधान को छोड़कर, यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

**2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग**— तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II के स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, तालिका के क्रमशः कॉलम (6) और (7) के तहत संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे:

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण— भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

### तालिका

क्रम सं.	वस्तु तथा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से कार्यान्वयन की तिथि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर)	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तांबा उत्पाद	12444:2020	विद्युत अनुप्रयोगों के लिए कॉपर वायर रॉड	19 अक्टूबर, 2024	19 जनवरी, 2025	19 अप्रैल, 2025
2		613:2000	विद्युत प्रयोजनों के लिए कॉपर रॉड और बार			
3		1897:2008	विद्युत प्रयोजनों के लिए कॉपर स्ट्रिप			
4		4171:1983	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए कॉपर रॉड और बार			
5		1545: 1994	कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए सॉलिड ड्रॉन कॉपर और कॉपर एलॉय ट्यूब			
6		2501: 1995	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए सॉलिड ड्रॉन कॉपर ट्यूब	19 अक्टूबर, 2024	19 जनवरी, 2025	19 अप्रैल, 2025
7		14810:2000	प्लम्बिंग के लिए कॉपर ट्यूब-स्पेसिफिकेशन			
8		10773:1995	रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग प्रयोजनों के लिए रॉट कॉपर ट्यूब			
9		4412:1981	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए कॉपर वायर			

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी - 29026/8/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)****ORDER**

New Delhi, the 25th April, 2024

**S.O. 1801(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Copper Products (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) This Order may be called the Copper Products (Quality Control) Order, 2024.

(2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Compulsory use of Standard Mark.**-Goods or articles specified in column (2) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) of the table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

**3. Certification and enforcement authority.**- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the Goods or articles specified in Column (2) of the Table.

**4. Penalty for Contravention.**-Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

**TABLE**

S. No.	Good or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in General (other than Micro and Small Enterprises)	Date of Implementation for Small Enterprises	Date of Implementation for Micro Enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Copper Products	12444:2020	Copper Wire Rods for Electrical Applications	The 19 <sup>th</sup> October, 2024	The 19 <sup>th</sup> January, 2025	The 19 <sup>th</sup> April, 2025
2		613:2000	Copper Rods and Bars for Electrical Purposes			
3		1897:2008	Copper strip for electrical purposes			
4		4171:1983	Copper rods and bars for general engineering purposes			
5		1545: 1994	Solid drawn copper and copper alloy tubes for condensers and heat exchangers			
6		2501: 1995	Solid drawn copper tubes for general engineering purposes	The 19 <sup>th</sup> October, 2024	The 19 <sup>th</sup> January, 2025	The 19 <sup>th</sup> April, 2025
7		14810:2000	Copper Tubes for plumbing-Specification			

8		10773:1995	Wrought Copper Tubes for Refrigeration and Air-Conditioning Purposes			
9		4412:1981	Copper wires for general engineering purposes			

**Note.-** For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/8/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.